

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र.प. 2(13)III-A/ELE./BFC/14-15 | 198

जयपुर, दिनांक 12.1.15

प्रेषक :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति :- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान

विषय :- बजट मद 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत अन्तरिम आधिक्य/बचत
प्रेषित करने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट मद 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102, 103, 105, 106 एवं 108 के सम्बन्ध में अन्तरिम आधिक्य/बचत विवरण निम्न प्रारूप में सात दिवस में पृथक-पृथक मदवार आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

बजट मद :-

क्र. स.	आदिनांक आवंटित राशि	दिनांक 31.12.2014 तक व्यय राशि	शेष सम्भावित दायित्व जो 31.03.2015 तक निस्तारित होने हैं	योग (3+4)	आधिक्य/बचत (2-5)
1	2	3	4	5	6
	योग				

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

- नोट :-
1. उक्त विवरण उप शीर्ष 102, 103, 105, 106 एवं 108 के अन्तर्गत (पृथक पृथक) सात दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करावें उसके पश्चात् समर्पित राशि स्वीकार नहीं की जावेगी जिसका उत्तरदायित्व आपके कार्यालय का होगा।
 2. लम्बित दायित्वों का मदवार विवरण संलग्न करावें एवं बचत के कारणों से भी अवगत करावें।

भवदीय,


(डॉ रेखा गुप्ता)

विशिष्ट शासन सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर